मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ, भवन मंत्रालय–462004

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2019

क्रमांक– 391 /116/सीसी/18/अड़तीस :: म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2019 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो, संविधान के अनुच्छेद–341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–85–25–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछडे वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, के तहत विभागीय उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।

2. इस हेतु राज्य की उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु उपलब्ध (बी.सी.आई. द्वारा विधि संकाय की निर्धारित सीट संख्या को छोड़कर) सीट संख्या में 26 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, ताकि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ–साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) को पूर्व अनुसार आरक्षण सुनिश्चित हो सके।

3. इसी के अनुक्रम में राज्य शासन के आदेश क्रमांकः 285/146/सी.सी/2019 दिनांक 25/05/2019 के तहत पूर्व में जारी समय सारणी को संशोधित कर एतद् द्वारा जारी किया जाता है।

(संलग्न–उपरोक्तानुसार)

(डॉ. जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पृ0क्रमांक 392/116/सीसी/18/अड़तीस भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2019
प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।

5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल म.प्र.।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय
भोपाल/इन्दौर/ग्वालियार/जबलपुर/रीवा/उज्जैन एवं छतरपुर म.प्र.।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त क्षेतीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
9. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु।
10. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय म.प्र.।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

.........................की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
संशोधित ऑनलाईन प्रवेश समय–सारिणी
(सत्र : 2019–20)

क्र.	कार्य का विवरण	स्नातक (प्रथम वर्ष)		स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर)	
		दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
	प्रथम चरण				
1.	(अ) ऑनलाईन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय–समूह का विकल्प देना	-	-	**15-6-2019**	**30-6-2019**
	(ब) आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शास. महा. से कराना	-	-	**15-6-2019**	**01-7-2019**
2.	(अ) सत्यापन करा चुके आवेदकों के लिए, प्रथम चरण के सीट–आवंटन–पत्र जारी करना	-	-	**08-7-2019**	
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाईन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट कराना एवं प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन शुल्क का भुगतान करना।	-	-	**09-7-2019**	**12-7-2019**
	(स) ऑनलाईन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/ संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाईन रिपोर्टिंग करना	-	-	**15-6-2019**	**12-7-2019**
	द्वितीय चरण				
3.	(अ) महाविद्यालयों में प्रथम चरण के पश्चात रिक्त रह गये स्थानों एवं प्रथम चरण के महाविद्यालयवार /पाठ्यक्रमवार/आरक्षण वर्गवार कट ऑफ की पोर्टल पर जानकारी	11-7-2019	–	**16-7-2019**	–
	(ब) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं महाविद्यालय पाठ्यक्रम /विषय–समूह का विकल्प देना।	**12-7-2019**	**18-7-2019**	**16-7-2019**	**24-7-2019**
	(स) दस्तावेजों का सत्यापन नवीन पंजीयन/पूर्व पंजीकृत किन्तु सत्यापन से वंचित आवेदकों के लिए	**12-7-2019**	**19-7-2019**	**16-7-2019**	**25-7-2019**
4.	प्रथम चरण में रिक्त रह गयी सीटों हेतु पुनः महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/ विषय–समूह का ऑनलाईन विकल्प देना (पंजीकृत एवं दस्तावेजों को सत्यापित करा चुके अप्रवेशित/प्रथम चरण में आवंटन प्राप्त किन्तु अप्रवेशित आवेदकों द्वारा)	**12-7-2019**	**19-7-2019**	**16-7-2019**	**25-7-2019**
5.	(अ) सत्यापन करा चुके आवेदकों/पूर्व पंजीकृत आवेदकों के विकल्प के अनुसार द्वितीय–चरण के सीट –आवंटन–पत्र जारी करना	**25-7-2019**	-	**31-7-2019**	–
	(ब) आवंटित महाविद्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाईन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट कराना एवं आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन शुल्क का भुगतान करना।	**25-7-2019**	**31-7-2019**	**31-7-2019**	**06-8-2019**
	(स) ऑनलाईन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाईन रिपोर्टिंग करना।	**10-7-2019**	**31-7-2019**	**16-7-2019**	**06-8-2019**

सीएलसी चरण (ऑन लाईन) में प्रवेश					
6.	महाविद्यालयों में रिक्त रह गये स्थानों की पाठ्यक्रमवार/विषयवार स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित की जाना।	05-08-2019	-	08-8-2019	-
7.	(अ) अपंजीकृत नवीन आवेदकों द्वारा ऑनलाईन पंजीयन, ई–प्रवेश पोर्टल पर कराना एवं ऑनलाइन पंजीयन शुल्क का भुगतान करना।	05-08-2019	13 -08 -2019	08-8-2019	18-8-2019
	(ब) दस्तावेजों का सत्यापन नजदीकी किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर कराना – नवीन पंजीकृत/पूर्व से पंजीकृत किन्तु सत्यापन से वंचित आवेदकों के लिए	05-08-2019	14-08-2019	08-8-2019	19-8-2019
8.	(अ) इस चरण में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को समय सीमा में केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही ऑन लाईन प्रविष्टि कर, महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रम/विषय–समूह/विषयवार का विकल्प देना अनिवार्य है (विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रस्तुत लिखित आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।)	05-08-2019	14-08-2019	08-8-2019	19-8-2019
9.	(अ) महाविद्यालय द्वारा प्रवेश सूची जारी करना	19-08-2019	-	21-8-2019	-
	(ब) आवेदकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा कर ऑनलाईन शुल्क भुगतान की लिंक इनीशिएट कराना एवं आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का समय सीमा में भुगतान करना।	20-08-2019	27-08-2019	22-8-2019	28-8-2019
	(स) उपरोक्त वर्णित कंडिका (ब) में उल्लेखित दिनांक तक आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, रिक्त सीटों को अनारक्षित मानते हुए महाविद्यालय द्वारा शेष आवेदकों की प्रवेश सूची मैरिट अनुसार जारी कर लिंक इनीशिएट कराना एवं आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन शुल्क का समय सीमा में भुगतान करना।	28-08-2019	31-08-2019	29-8-2019	31-8-2019
	(द) ऑनलाईन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय / संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाईन रिपोर्टिंग करना। (समय सीमा में पोर्टल पर प्रवेश की जानकारी दर्ज न करने पर जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।)	05-08-2019	31-08-2019	08-8-2019	31-8-2019

(डॉ. जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग,